

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज ।

पटना, दिनांक- 5.7.19

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26- 2230011140102) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 2994 dated- 03-07-19 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नहीं रहने के कारण राज्य योजना अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-2230011140102) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 2994 dated- 03-07-19 में राशि किस मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित हेतु आवंटित की गयी है का उल्लेख संभव नहीं है।


1. CFMS Order No.- 2994 dated- 03-07-19 से आवंटित की गयी राशि को निम्नलिखित मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित हेतु निकासी करते हुये निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	CFMS Order No.- 2994 dated- 03-07-19 से आवंटित राशि	CFMS Order No.- 2994 dated- 03-07-19 से राशि निम्नलिखित मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित के भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।
1	2	3	4	5	6
1	गोपालगंज	09	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	900000/- (नौ लाख)	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-472, 474, 476 तीनों दि.-12.09.18 एवं 490 दि.-24.09.18 के आलोक में (1) स्व. राजकुमार पाण्डेय, आश्रित अनिता देवी (पत्नी) ग्रा.+पो.- सरफरा, थाना+प्रखण्ड-बरौली, जिला- गोपाल गंज (2) स्व. पंकज कुमार सिंह, आश्रित सुरेश सिंह(पिता) ग्रा.-बुचेया, पो.+थाना+ प्रखण्ड- सिधवलिया, जिला-गोपालगंज (3) स्व. मुनिब कुमार साह, आश्रित रघुनाथ साह (पिता) ग्रा.+पो.-उसरी, थाना+प्रखण्ड- बैकुण्ठपुर, जिला-गोपालगंज (4) स्व. लालबाबू प्रसाद, आश्रित रीना देवी (पत्नी) ग्रा.+पो.-सिकटिया, थाना- सिधवलिया, प्रखण्ड-बरौली, जिला- गोपालगंज के भुगतान हेतु।

				<p>जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के ज्ञापांक-96, 98, 100 एवं 102 सभी दि.-01.03.19 के आलोक में स्व. धर्मेन्द्र गुप्ता आश्रित उर्मिला देवी(पत्नी) ग्रा0+पो0-बोधाछापर, प्रखंड- कुचाय कोट, थाना- गोपालपुर, जिला-गोपालगंज (2) स्व0 सिकन्दर साह, आश्रित लक्ष्मी साह (पिता), ग्रा0-सरफरा, पो0-बतरदेह, प्रखंड+थाना-बरौली, जिला- गोपाल गंज (3) स्व0 दीपचन्द्र कुमार, आश्रित तारकेश्वर कुशवाहा(पिता) ग्रा0+पो0- मतेयॉखास, प्रखंड+ थाना- कुचायकोट, जिला- गोपालगंज (4) स्व0 समशुल हक हवारी, आश्रित तैमुल नेशा(पत्नी), ग्रा0-बरहिमा मठिया, पो0-बरहिमा,प्रखंड+ थाना- सिधवलिया, जिला-गोपालगंज के भुगतान हेतु।</p> <p>जिला पदाधिकारी, गोपालगंज का पत्रांक- 132 दिनांक-27.03.2018 के आलोक में (1) रंजीत सिंह, आश्रित रूबी देवी (पत्नी), ग्रा0- सुन्दरपट्टी, पो.+ थाना-गोपालगंज, प्रखंड- थावे जिला- गोपालगंज के भुगतान हेतु ।</p>
	कुल	9		900000 / -

CFMS Order No.- 2994 dated- 03-07-19 से आवंटित राशि रुपये ₹ 9,00,000/- (₹ नौ लाख) मात्र ।

- यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1907 दिनांक-03.05.19 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू० 1,00,000/- (रुपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।
- अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फ़ैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
- विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
- आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।


 (गोपाल मीणा)
 श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक: 6/एफ1-307/19 श्र0सं0- 2945 पटना, दिनांक 5.7.19

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक /आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-1 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै०स०प्रे०सं०-200 (श्रम पक्ष) दिनांक-02.07.19 के आलोक में/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

5.7.19

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।